1. जौहरियों के पंजीकरण के लिए शुल्क कितना है?

   उ) जौहरियों से प्रमाणपत्र मंजूरी अथवा पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

2. क्या जौहरियों के पंजीकरण का नवीकरण आवश्यक है?

   उ) जौहरियों के पंजीकरण का नवीकरण आवश्यक नहीं है चूंकि पंजीकरण प्रमाणपत्र एकमुश्त पंजीकरण हेतु मंजूर किया जा रहा है जो कि जीवनभर के लिए वैध है।

3. उन जौहरियों के पंजीकरण का क्या होगा जिनका नवीकरण देय हो गया है?

   उ) एकमुश्त पंजीकरण के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है अतः वर्तमान जौहरियों के प्रमाणपत्रों की वैधता जीवन पर्यन्त तक बढ़ाई जायेगी।

4. क्या हॉलमार्किंग पोर्टल के माध्यम से एएचसी को आभूषण भेजना जौहरियों के लिए अनिवार्य है?

   उ) एसेइंग एवं हॉलमार्किंग गतिविधियों के लिए विकसित नये हॉलमार्किंग प्रणाली के अतंर्गत एक प्रावधान समर्थकृत किया गया है जिसमें जोहरी पोर्टल का प्रयोग किये बिना एएचसी को आभूषण भेज सकता है और एएचसी कर्मी जोहरी के बदले हॉलमार्किंग अनुरोध करेगा। एएचसी को आभूषण भेजने के लिए जौहरियों हेतु पोर्टल का माध्यम भी उपलब्ध है और यह सलाह दी जाती है कि जोहरी इसे अधिमान्य विकल्प के रूप में प्रयोग करें।

5. क्या नये छह-अंकीय कोड के साथ हॉलमार्क के प्रस्ताव के पश्चात पूर्व में हॉलमार्क की गई आभूषण को पुनः हॉलमार्क करना जरूरी है?

   उ) नहीं; छह-अंकीय कोड के साथ नये हॉलमार्क प्रस्ताव के पश्चात पहले से हॉलमार्क की गई आभूषण को पुनः हॉलमार्क करना आवश्यक नहीं है।

6. क्या हॉलमार्क किए गए भाग के क्षतिग्रस्त अथवा मिट जाने पर हॉलमार्क की गई आभूषण को पुनः हॉलमार्क किया जा सकता है?

   उ) हॉलमार्क की गई आभूषण को एसेइंग की पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करने पर यदि उसे संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप पाया जाता है केवल तभी उसे पुनः हॉलमार्क किया जा सकता है।

7. छह अंकीय कोड वाली हॉलमार्क की गई आभूषण बिक्री के बाद उपभोक्ता द्वारा वापिस किये जाने के बाद उस पर लगे हॉलमार्क की वैधता का क्या होता है?

   उ) बिक्री के बाद उपभोक्ता द्वारा वापिस किये जाने के बाद भी आभूषण पर किया गया हॉलमार्क वैध रहता है।

8. जब जोहरी छह अंकीय हॉलमार्क वाली नहीं बिकी हुई आभूषण को पिघलाकर नई आभूषण बनाने का निर्णय करता है तो क्या होता है?

   उ) जोहरी नए आभूषण बनाने के लिए पुराने आभूषण को पिघला सकता है और उस आभूषण को बिक्री से पूर्व एसेइंग एवं हॉलमार्किंग के लिए विकसित नई हॉलमार्किंग प्रणाली के अतंर्गत नई छह अंकीय कोड सहित मुहरांकित करवाएगा। जोहरी से सूचना प्राप्ति पर पुराना छह अंकीय कोड वाला हॉलमार्क निष्क्रिय हो जायेगा।

9. क्या हॉलमार्क किया गया आभूषण जीवनभर के लिए वैध होगा?

   उ) हाँ, हॉलमार्क किया गया आभूषण जीवनभर के लिए वैध रहेगा।

10. जोहरी आभूषण में 2 ग्राम अथवा इसके 50% तक वजन, जो भी कम हो, तक परिवर्तन कर सकता है। ऑनलाइन प्रणाली में इसे कैसे दर्शाया जायेगा?

    उ) वर्तमान में, ऑनलाइन प्रणाली में आभूषण में परिवर्तन को दर्शाने का कोई प्रावधान नहीं है। बाजार निगरानी के समय, तथापि ऐसे आभूषण के विवरणों को क्रास चेक किया जा सकता है कि आभूषण की परिशुद्धता में परिवर्तन के बाद कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं हुआ है।

11. क्या सफ़ेद स्वर्ण को अनिवार्य हॉलमार्किंग के अतंर्गत शामिल किया गया है?

    उ) हाँ, 14,18 एवं 22 कैरेट का सफ़ेद स्वर्ण मिश्रधातु को अनिवार्य हॉलमार्किंग के अतंर्गत शामिल किया गया है।

12. क्या सोने के साथ एक या अधिक मिश्रित धातुओं वाले आभूषण को अनिवार्य हॉलमार्किंग के अतंर्गत शामिल किया गया है?

    उ) यदि मिश्रधातु सोने के साथ एक या अधिक धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है और आईएस 1417 के अतंर्गत उल्लिखित ग्रेडों के अनुरूप पाया जाता है तो वह वस्तु अनिवार्य हॉलमार्किंग के अतंर्गत आवरित होगी।

13. नये ग्रेड 20, 23 और 24 कैरेट को हॉलमार्किंग में कब मंजूर किया जायेगा?

    उ) आईएस 1417:2016 को सोने की आभूषण/शिल्पकृतियों के ग्रेड 20, 23 एवं 24 कैरेटों को इसकी विषयवस्तु में शामिल करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। आईएस 1417:2016 के संशोधनों को जारी करने के बाद, आभूषण के उपरोक्त उल्लिखित ग्रेडों पर हॉलमार्किंग कार्यान्वयन की तिथि सभी संबंधित हितधारकों को अधिसूचित की जायेगा।

14. क्या एसेईंग और हॉलमार्किंग केन्द्र, जोहरी द्वारा घोषित परिशुद्धता के विवरण अथवा वजन के अनुसार आभूषण नहीं पाए जाने पर वापिस कर सकता है?

    उ) हां, यदि आभूषण जोहरी द्वारा घोषित भार एवं शुद्धता के विवरण के अनुसार नहीं पाया जाता है तो एएचएससी उसे वापस लौटा सकता है।

15. यदि जोहरी द्वारा घोषित शुद्धता के अनुसार आभूषण नहीं पाए जाते हैं तो क्या शुद्धता के निकटतम निम्न ग्रेड पर हॉलमार्क लगाने की अनुमति है?

उ) यदि आभूषण जोहरी द्वारा घोषित शुद्धता के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो आभूषण को अस्वीकृत कर दिया जाता है और जोहरी को वापस भेज दिया जाता है।

16. डिलीवरी वाउचर पर एएचसी द्वारा क्या जानकारी दी जाएगी?

उ) डिलीवरी वाउचर पर एएचसी द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी:

- एएचसी का विवरण (नाम एवं पता)
- जोहरी का विवरण (नाम एवं पता)
- हॉलमर्किंग के लिए स्वीकृत की गई वस्तुओं का विवरण (प्रत्येक वस्तु का भार एवं मात्रा)
- अस्वीकृत वस्तुओं का विवरण
- लौटाई गई वस्तु का भार, कॉर्नेट का भार एवं स्क्रैपिंग का भार

17. यदि फायर एसेयिंग में जोहरी द्वारा भेजे गए आभूषणों का पूरा लॉट विफल हो जाता है तो एएचसी द्वारा क्या जानकारी प्रदान की जाएगी?

उ) आभूषणों के पूरे लॉट के विफल होने पर, अस्वीकृत वस्तुओं का विवरण डिलीवरी वाउचर पर दिया जाएगा।

18. जोहरी को कार्नेट कब लौटाना चाहिए? यदि कोई निर्धारित समय-सीमा है, तो कृपया बताएं।

उ) एसेयिंग के बाद बचा हुआ कॉर्नेट जोहरी को हॉलमार्क/अस्वीकार किए गए आभूषण/शिल्पाकृतियों के साथ लौटा दिया जाएगा।

19. क्या 40 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाला जोहरी अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत जिलों में हॉलमार्क वाले आभूषण बेच सकता है?

उ) हां, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश में उल्लिखित छूट के अनुसार 40 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले जोहरी अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों में हॉलमार्क वाले आभूषण बेच सकते हैं, बशर्ते उसके पास बीआईएस का पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो।

20. क्या जोहरी अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत न आने वाले जिलों में हॉलमार्क वाले आभूषण बेच सकते हैं?

उ) हां, अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत न आने वाले जिलों में जोहरी हॉलमार्क वाले आभूषण बेच सकते हैं, बशर्ते उनके पास बीआईएस से पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो।

21. क्या अनिवार्य हॉलमार्किंग के क्षेत्र में न आने वाले जिलों में भी क्यूसीओ मे दी गयी छूट लागू होगी?

उ) क्यूसीओ केवल अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश में उल्लिखित 256 जिलों पर ही लागू होगा।

22. चूंकि पहले बिक्री केन्द्र पर हॉलमार्किंग की जाती है, यदि आखिरी बिक्री केन्द्र पर (ग्राहक को) आभूषण की शुद्धता में कमी पाई जाती है तो इसे बेचने वाले जोहरी की क्या जिम्मेदारी है?

उ) बीआईएस हॉलमार्किंग के विनियमों के अनुसार

i) पंजीकृत जोहरी वस्तु पर हॉलमार्क लगवाता है, वह इस तरह की वस्तु की शुद्धता और महीनता के लिए जिम्मेदार होगा।

ii) पंजीकृत जोहरी, जो बिक्री करता है, नियमों के अनुसार शुद्धता या महीनता में किसी भी कमी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

23. क्या विनिर्माता या जोहरी या दोनों ही हॉलमार्क आभूषण पर अपनी मुहर लगा सकते हैं?

उ) हॉलमार्क आभूषण पर निम्नलिखित मुहर अनिवार्य है:

1. बीआईएस मानक मुहर (बीआईएस लोगो)

2. कैरेट में शुद्धता और महीनता

3. छह अंको का यूआईडी नंबर

इनके अतिरिक्त, विनिर्माता या जोहरी हॉलमार्क आभूषण/शिल्पाकृतियों पर अपनी मुहर लगा सकते हैं।

24. निगरानी के लिए आउटलेट पर जाने वाले बीआईएस कर्मियों के प्रति जोहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं?

उ) पंजीकृत जोहरी को रिटेल आउटलेट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हॉलमार्क वाले सोने/चांदी के आभूषणों/शिल्पाकृतियों के नमूने एकत्र करने के लिए बीआईएस प्रतिनिधि

के साथ सहयोग करना होगा। नमूना (नमूनों) को परिशुद्धता मुहर सहित भारतीय मानक से अनुरूपता की पुष्टि के लिए एकत्र किया जाएगा।

25. किसी जोहरी का पंजीकरण किन परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है?

उ) ब्यूरो पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है, यदि:

(क) आभूषण विक्रेता द्वारा घोषित किसी भी घोषणा को झूठ या गलत पाया जाता है;
(ख) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है;
(ग) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता ने वस्तु की दावा की गई या उस पर अंकित शुद्धता या परिशुद्धता से कम शुद्धता वाली वस्तु को बेचा है या बेचने का प्रस्ताव किया है;
(घ) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता, निगरानी दौरे या शिकायत की जाँच के दौरान ब्यूरो के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहयोग देने में विफल रहा हो।
(ड.) रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को हॉलमार्क के दुरुपयोग के किसी भी अनुचित व्यवहार में लिप्त पाया जाए ।

26. पंजीकरण को रद्द करने की क्या प्रक्रिया है

उ) हॉलमार्किंग विनियम 2018 के खंड 7 के अनुसार

(i) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द करने से पहले, ब्यूरो रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता को रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को रद्द करने के आशय के कारणों का हवाला देकर नोटिस देगा।

(ii) नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों के अंदर जोहरी ब्यूरो को स्पष्टीकरण

प्रस्तुत कर सकता है।

(iii) जब स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तो ब्यूरो उस स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है और रजिस्ट्रीकृत आभूषण विक्रेता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की व्यक्तिगत सुनवाई कर सकता है, जैसा भी मामला हो।

(iv) अपराध के शमन के मामले में, प्रमाण-पत्र को रद्द करने के लिए प्रक्रिया नहीं की

जाएगी।

(v) यदि कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो ब्यूरो नोटिस की अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकता है।

27. पंजीकरण रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील के लिए क्या प्रावधान हैं?

उ) बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार:

(i) इस अधिनियम की धारा 13 या धारा 14 की उपधारा (4) या धारा 17 के अधीन किये गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो के महानिदेशक को यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा। (बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 34(1)।

(ii) अपील के लिए विहित अवधि के पश्चात की गयी किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जायेगा:

परन्तु अपील के लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात किसी अपील को तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी महानिदेशक का यह समाधान कर देता है की विहित अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(iii) इस धारा के अधीन के गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी, जो विहित की जाये ।

(iv) किसी अपील का निपटान करने की प्रकिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु किसी अपील का निपटान करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(v) महानदेशक स्वप्रेरणा से या विहित रीति में किये गए किसी आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे उसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(vi) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किये गए किसी आदेश के व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाये, अपील कर सकेगा।

28. किन-किन परिस्थितियों में किसी जोहरी पर जुर्माना लगाया जा सकता है?

उ) बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अनुसार:

(i) कोई व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये ये कम नहीं होगा, किंतु जो मानक चिन्ह, जिसके अंतगर्त हालमार्क भी है, लगे माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुणा तक हो सकेगा या दोनो ही दंडनीय होगा ।

परन्तु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(ii) इसके अलावा ग्राहक द्वारा पुन: परीक्षण के मामले में यदि शुद्धता निर्धारित शुद्धता से कम पाई जाती है, तो बीआईएस नियम, 2018 के नियम 49 के अनुसार ग्राहक को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जो कि बेची गई ऐसी वस्तु के वजन और परीक्षण शुल्क के लिए शुद्धता की कमी के आधार पर गणना की गई अंतर की राशि का दोगुना होगा।

29. बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत अधिकतम जुर्माना क्या है?

उ) बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (6) या उपधारा (8) या धारा 15 का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रूपये ये कम नहीं होगा,

किंतु जो मानक चिन्ह, जिसके अंतगर्त हालमार्क भी है, लगे माल या उत्पादित या विक्रीत या विक्रय किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई वस्तुओं के मूल्य के पांच गुणा तक हो सकेगा या दोनो ही दंडनीय होगा ।

परन्तु जहां उत्पादित या विक्रीत या विक्रय के लिए प्रस्तावित माल या वस्तुओं के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि एक वर्ष का उत्पादन ऐसे उल्लंघन में था और ऐसे उल्लंघन के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक आवर्त को माल या वस्तुओं के मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

30. जुर्माने के आदेश के खिलाफ जोहरी के पास कौन से उपाय उपलब्ध हैं?

उ) (i) माननीय न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के मामले में जोहरी के पास कानूनी प्रक्रिया के अनुसार लागू समाधान उपलब्ध हैं।

(ii) बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार बीआईएस द्वारा जुर्माने के मामले में निम्नलिखित अनुसार अपील का प्रावधान उपलब्ध है:

(क) धारा 13 या धारा 14 की उपधारा (4) या धारा 17 के अधीन किये गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो के महानिदेशक को यथाविहित अवधि के भीतर अपील कर सकेगा। (बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 34(1))

(ख) अपील के लिए विहित अवधि के पश्चात की गयी किसी अपील को ग्रहण नहीं किया जायेगा:

परन्तु अपील के लिए विहित अवधि के अवसान के पश्चात किसी अपील को तब ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्थी महानिदेशक का यह समाधान कर देता है की विहित अवधि के भीतर अपील न करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे।

(ग) इस धारा के अधीन के गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की प्रति और ऐसी फीस के साथ की जाएगी, जो विहित की जाये ।

(घ) किसी अपील का निपटान करने की प्रकिया वह होगी, जो विहित की जाए:

परन्तु किसी अपील का निपटान करने से पूर्व अपीलार्थी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ड़) महानदेशक स्वप्रेरणा से या विहित रीति में किये गए किसी आवेदन पर किसी अधिकारी द्वारा, जिसे उसके द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(च) उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन किये गए किसी आदेश के व्यथित कोई व्यक्ति ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाली केंद्रीय सरकार को ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाये, अपील कर सकेगा।

31. क्या आभूषण हॉलमार्क करवाने वाला जोहरी और एएचसी जिसने हॉलमार्क किया है दोनों संयुक्त रूप से शुद्धता में कमी के मामलों में इनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के पात्र हैं?

उ) हां

32. क्या एएचसी अत्यधिक कार्य-भार या किसी अन्य कारण से हॉलमार्किंग के लिए आभूषण स्वीकार करने से मना कर सकता है?

उ) नहीं। यद्पि, काम के बोझ या किसी अन्य कारण के आधार पर एएचसी जोहरी को सूचित कर सकता है कि परीक्षण में देरी होगी।

33. क्या हॉलमार्क वाली आयातित (इम्पोर्टेड) आभूषण को पुनः हॉलमार्क करवाना जरूरी है?

उ) हाँ; हॉलमार्क वाले आयातित आभूषणों को फिर से हॉलमार्क करना जरूरी है।

34. ऑफ-साइट केंद्र क्या होता है? यह एएचसी से किस प्रकार भिन्न है

उ) ऑफ-साइट केंद्र मूल एएचसी की एक विस्तारित शाखा होता है और इसमें अग्नि परख की सुविधाओं को छोड़कर एएचसी के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं होती हैं।

35. किसी कदाचार के मामले में एक ऑफ-साइट केंद्र का दायित्व क्या होगा?

उ) ऑफसाइट केंद्र का दायित्व परख और हॉलमार्किंग केंद्र के समान होगा।

36. अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में नहीं आने वाले जिलों में एएचसी द्वारा कितने ऑफ-साइट केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं?

उ) प्रत्येक मूल ए एंड एच केंद्र जिसके पास अग्नि परख प्रयोगशाला है उसके लिए अधिकतम 5 ऑफसाइट केंद्र स्थापित करने की अनुमति है।

37. क्या अनिवार्य हॉलमार्किंग के अंतर्गत आने वाले जिलों में भी ऑफ-साइट केंद्र स्थापित किया जा सकता है?

उ) हाँ

38. अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में नहीं आने वाले जिलों में एएचसी या ऑफ-साइट केंद्र स्थापित करने के लिए बीआईएस द्वारा क्या सब्सिडी प्रदान की जाती है?

उ) अभाव वाले क्षेत्रों में एएचसी या ऑफ-साइट केंद्र खोलने के लिए स्थापना की लागत के 75% तक सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक सब्सिडी योजना प्रस्तावित है।

39. एएचसी की ऑडिट कितनी आवधि में होनी चाहिए?

उ) 3 वर्षों में कम से कम दो निगरानी निरीक्षण किए जाने चाहिए। प्रत्येक नवीकरण से पहले एक नवीकरण ऑडिट किया जाता है।

40. कम्पाउडिंग क्या है?

उ) बीआईएस अधिनियम 2016, (1) की धारा 33 के अनुसार, दंड पक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहली बार दंडनीय किसी ऐसे अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध नहीं है, का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् महानिदेशक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में जुर्माने की अधिकतम रकम से, जो इस प्रकार शमन किये गए अपराध की धारा 29 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी से अधिक से नहीं होगी और पूर्व में शमन किए गए अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पश्चात किये गए किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध को पहली बार किया गया अपराध माना जायेगा ।

41. जोहरी या एएचसी कब कम्पाउंडिग के लिए आवेदन कर सकते हैं ?

उ) जोहरी या एएचसी अपने पंजीकरण/मान्यता के प्रस्तावित रद्दीकरण् के मामले में कम्पाउडिंग लिए आवेदन कर सकता है और हॉलमार्किंग विनियम 7(6) और 13(6) के अनुसार कम्पाउडिंग के मामले में उनका पंजीकरण/मान्यता रद्द नहीं किया जाएगा।

बीआईएस अधिनियम 2016, (1) की धारा 33 के अनुसार, दंड पक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहली बार दंडनीय किसी ऐसे अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध नहीं है, का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित होने से पूर्व या पश्चात् महानिदेशक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जा सकेगा:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट राशि किसी भी दशा में जुर्माने की अधिकतम रकम से, जो इस प्रकार शमन किये गए अपराध की धारा 29 के अधीन अधिरोपित की जा सकेगी से अधिक से नहीं होगी और पूर्व में शमन किए गए अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से पश्चात किये गए किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध को पहली बार किया गया अपराध माना जायेगा।